अक्टूबर 16, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-59

कार्यकारी आदेश 2020-59
(कोविड-19 कार्यकारी आदेश संख्या. 55)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जन हानि का कारण बनी है, तथा 335,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और इसने हज़ारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं को ढ़ालता है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन जिन सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहाँ चेहरे पर कपड़े के कवर पहनने की आवश्यकता और प्रभावशीलता की ओर संकेत करता है, और यह संकेत देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोख़िम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोख़िम की तुलना में कम है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही घर में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

जबकि, जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं और लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका निर्णायक पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, आवास की सुविधा ने COVID-19 के फैलाव को रोकने में मदद की है क्योंकि आवास में रहने वाले लोग अपने घरों के बाहर मौजूद लोगों से शारीरिक संपर्क को कम कर पाए हैं; और,

जबकि, अस्थायी रूप से बेदखली की कार्यवाही को रोकना, निकाले जाने से जुड़े कई संपर्कों से बचाता है, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारी, अदालत कक्ष के कर्मी, मकान मालिक, मूवर्स (सामान स्थानांतरित करने वाले लोग) और मित्र और परिवार शामिल हैं, जो अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, साथ

ही उन लोगों को भी जो बेघर होने के लिए मजबूर किए जाते हैं, किसी आश्रय में शरण लेने से जुड़े संपर्कों से बचाता है; और,

जबकि, अस्थायी रूप से बेदखली कार्यवाही को रोकना प्रसार को रोकता है, इस प्रकार यह व्यापक समुदाय में COVID-19 के प्रसार को भी रोकता है; और,

जबकि, 9,150 से भी अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद अंत एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और इससे अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को ख़तरा है; और,

जबकि, अक्टूबर 16, 2020 को, COVID-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी के आपातकाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की प्रतिक्रिया में, मैं कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-53, 2020-56, और 2020-57 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूँ और उन कार्यकारी आदेशों के 'जबकि' खंडों को सम्मिलित करता हूँ;

अतः इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ, जो अक्टूबर 16, 2020 से प्रभावी हैं:

<u>भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः प्रकाश।</u>

कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-53, 2020-56, और 2020-57 को इस कार्यकारी आदेश 2020-59 द्वारा निम्नानुसार पुनः जारी किया जाता है:

<u>कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना ; राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी की छुट्टी की आवश्यकता का अधित्याग):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है और **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फ़ूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएँ):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को फिर से जारी और **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-39 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभागों 3, 4 और 5 को फिर से जारी और **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरभाष स्वास्थ्य (टेलीहेल्थ)):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि:</u>

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है और **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (इलिनॉय स्कूल कोड) के प्रावधानों का स्थगन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है और **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) की समय-सीमाएं एवं आवेदन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-22 (बाल देखभाल अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्लेस्मेंटज़; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 4, 5, और संचय खंड (सेविंग्स क्लॉज़) को पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा की गई कार्रवाइयां):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग विधि चिकित्साशास्त्र उपचार कार्यक्रम (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:</u>

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-26 के अनुभागों 2(e), 6, 7, 8, 9 और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन की कार्रवाइयों की फाइलिंग; आवासीय निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-48 और कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-30 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-34 (भांग (केनाबिस) संबंधी आवश्यकताएँ):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियामक गतिविधियां, (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी एक्टिविटीज):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16, और 17 को पुनः जारी किया जाता है और **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंसिज़)):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर दांव लगाना):

कार्यकारी आदेश 2020-41 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):

कार्यकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-43 (चरण 4 समुदाय पुनर्जीवन आदेश):

कार्यकारी आदेश 2020-43, जैसा कि कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा संशोधित है, और जैसा कि निम्नानुसार और भी संशोधित और परिशोधित किया गया है, को उसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

b. **फुटकर दुकानों (रिटेल स्टोर) के लिए आवश्यकताएँ** फुटकर दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी का अभ्यास करें, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिनमें शामिल हैं:

- उन सभी कर्मचारियों को चेहरे को ढकने वाली चीज़ें प्रदान करें जो हर ग्राहकों और अन्य कर्मचारियों से समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
- दुकान में जितने लोगो की क्षमता हो उसके 50 प्रतिशत तक ही लोगों को आने दें, या, वैकल्पिक रूप से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक ऑपोरचुनिट (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा आपकी दुकान के वर्ग फुट के आधार पर निर्धारित की गई सीमा तक; और
- सामाजिक दूरी और चेहरा ढ़ंकने की आवश्यकताओं के बारे में दुकान के भीतर संकेतकों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों से संवाद करें जैसा कि इस आदेश में निर्धारित किया गया है।~~; और~~
- ~~पुनः उपयोग में आने वाले बैगों का उपयोग बंद करें।~~

कार्यकारी आदेश 2020-45 भांग (केनाबिस) के लाइसेंस):

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावशील रहेगा।

कार्यकारी आदेश 2020-47 (प्रीK-12 स्कूलों में वैयक्तिव रूप से शिक्षण):

कार्यकारी आदेश 2020-47 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-53 (क्षेत्र 7 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-53 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-56 (क्षेत्र 1 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-56 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-57 (भांग (केनाबिस) के पहचान पत्र):

कार्यकारी आदेश 2020-57 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **14 नवंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा अक्टूबर 16, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर अक्टूबर 16, 2020